[illegible] Case No- [illegible] 2014
[illegible] PS Case No- 159 / 2014
[illegible] Date-17.04.2026
[illegible] Randhir Kumar, ACJM, Ballia

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बलिया, बेगूसराय

जी0आर0 वाद संख्या– 2893 / 2014

साहेबपुर कमाल थाना काण्ड संख्या– 159 / 2014

विचारण सं0:– /2026

राज्य

बनाम्

मंजीत यादव वगैरह

17.04.2026

सूचक– **राजपति साह,** पिता– स्व0 केशो साह, साकिन– साहेबपुर कमाल, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला–बेगूसराय।

..............................**सूचक**

बनाम

01. **मंजीत यादव**, पिता– शिवेन्द्र यादव, उम्र– 34 वर्ष,

02. **किरण देवी उर्फ मीणा देवी,** पिता–शिवेन्द्र यादव, उम्र– 70 वर्ष,

03. **अमर कुमार,** पिता– शिवेन्द्र यादव, उम्र–35 वर्ष,

04. **शिवेन्द्र यादव,** पिता– स्व0 ब्रह्मदेव यादव, उम्र–70 वर्ष,

साकिन–साहेबपुर कमाल, थाना–साहेबपुर कमाल, जिला– बेगूसराय।

..............................**अभियुक्त**

प्राथमिकी अन्तर्गत धारा– **447 / 323 / 427 / 506 / 504 / 34 भा0द0वि0**

संज्ञान अन्तर्गत धारा– **341 / 323 / 337 / 504 / 506 / 427 / 34 भा0द0वि0**

अभियोजन की ओर से– **मो0 फिरोज अहमद**

विद्वान अधिवक्ता प्रतिरक्षा– **श्री प्रभाकर प्रसाद वर्मा**

उपस्थित– **श्री रणधीर कुमार**

निर्णय की तिथिः– **17.04.2026**

निर्णय

01. प्रस्तुत वाद में नामित अभियुक्त के विरूद्ध भा0 द0 वि0 की धारा **341 / 323 / 337 / 504 / 506 / 427 / 34 भा0द0वि0** के अन्तर्गत आरोप गठन कर अभियुक्त को सुनाया गया जिसमें अभियुक्त घटना से इन्कार करते हैं तथा न्यायिक विचारण का दावा प्रस्तुत करते हैं।

02. प्रस्तुत वाद में अभियोजन का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.06.2014 को करीब 08 बजे सुबह में सिवेन्द्र यादव, मंजीत यादव, अमर कुमार तथा मिना देवी गाली गलौज देते हुए लाठी डंडा से लैस होकर सूचक के घर आए और उनका घर उजाड़ना शुरू कर दिए। सूचक की पत्नी विरोध की तो उनको मंजीत मारा। सूचक को भी सिवेन्द्र डंडा से मारा। सूचक

का बेटा बचाने आया तो अमर कुमार और किरण देवी इंटा से मारने लगे। केस करने पर जान से मारने का धमकी दिया। इस आशय का लिखित बयान सूचक द्वारा थाने में दिया गया जिसके आधार पर साहेबपुर कमाल थाना काण्ड संख्या– **159/2014** अंकित कर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ हुआ। अनुसंधान के पश्चात् उपरोक्त धारा में ही घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या–**149/2014** दिनांक–**06.09.2014** के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय ने उपरोक्त धारा में घटना का संज्ञान लेकर अभिलेख को निष्पादन एवं विचारण हेतु स्वयं के संचिका में रखे। अंततः अभिलेख **उपस्थिति** के प्रक्रम पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

03. दं0 प्र0 सं0 की धारा **313** के बयान में अभियुक्तगण अपने आपको निर्दोष बताते हैं।

मन्तव्य

04. प्रस्तुत वाद में अभियोजन अपने कथन के समर्थन में आरोप पत्र में नामित कुल **पांच** साक्षियों में से मात्र **दो** साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

05. अब क्या अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्त पर लगाया है उसे सभी युक्तियुक्त संदेहों के छायाओं के परे साबित करने में सफल रहे हैं या नहीं मैं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों का साक्ष्य परिशीलन आरम्भ करता हूं।

06. प्रस्तुत वाद में अभियोजन साक्षी संख्या–**01**, **मिथिलेश कुमार** जो कि इस वाद में सूचक के पुत्र हैं जो कि अपने साक्ष्य के मुख्यपरीक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कहते हैं कि घटना दो साल की है समय 8 बजे सुबह का है। उस समय अपने घर में था तथा पापा भी घर में ही थे। सभी मुदालयगण लाठी डंडा लेकर आए मेरे मम्मी और पापा को सभी लोग मिलकर मारने लगे। मेरे मम्मी पापा को पैर हाथ में चोट लगा। पापा को बांयां पैर पर एवं उसके उंगली में चोट लगा। मम्मी को शरीर पर चोट लगा। मंजीत, अमर ने मारपीट किया तथा ये लोग मुझे मारे। न्यायालय में मुदालयगण को पहचानने का दावा करते हैं।

परन्तु यह साक्षी अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण के कंडिका 03 में कहते हैं कि शिवेन्द्र यादव कहां नौकरी करता हैं हम नहीं जानते हैं तथा दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है तथा कंडिका 8 में कहते हैं कि सरकारी अस्पताल नहीं गये थे खून नहीं बहा था।

07. अभियोजन साक्षी संख्या–**02**, **अमरनाथ साह** जो कि स्वतंत्र साक्षी हैं जिन्होंने अपने साक्ष्य के मुख्यपरीक्षण में ही घटना का समर्थन नहीं किया है तथा कहते हैं कि घटना की जानकारी नहीं है तथा पुलिस में बयान नहीं हुआ था। इस प्रकार इस साक्षी को अभियोजन के

मौखिक अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित करते हुए प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया परन्तु अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में भी कोई ऐसा तथ्य साक्षी से प्राप्त नहीं कर सके जिससे की अभियोजन के कथन को समर्थन प्राप्त होता हो।

निष्कर्ष

08. उपरोक्त वर्णित तथ्य परिस्थिति एवं अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् जो तथ्य उभर कर सामने आते हैं वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से मात्र दो साक्षी का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें साक्षी संख्या–1 सूचक के पुत्र हैं जो कि घटना का समर्थन तो करते हैं अपने साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण में स्पष्टतः कहते हैं शिवेन्द्र यादव कहां नौकरी करता हैं हम नहीं जानते हैं तथा दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है तथा सरकारी अस्पताल नहीं गये थे खून नहीं बहा था। इसके अलावा इस वाद में अभियोजन द्वारा सूचक तथा सूचक की पत्नी का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही इस वाद के अनुसंधानकर्ता तथा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

09. निष्कर्षतः उपरोक्त तथ्य परिस्थिति में मैं इस अभिमत का हुँ कि अभियोजन ने जो आरोप अभियुक्त पर भा0 द0 वि0 की धारा **341/323/337/504/506/427/34** लगाया है उसे पूर्णतः साबित करने में विफल रहें हैं।

10. फलतः मैं इस वाद में नामित अभियुक्त को भा0 द0 वि0 की धारा **341/323/337/504/506/427/34** के आरोपों का दोषी नहीं मानता हूँ एवं अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करता हुँ।

11. अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को बंध पत्र के परस्पर उत्तरदायित्व से भी उन्मुक्त करता हुँ।

12. यह निर्णय मेरे द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर मु० न्याय दण्डा० बलिया, बेगूसराय

लेखापित एवं शुद्धित

रणधीर कुमार 17.04.26

(रणधीर कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
बलिया, बेगूसराय।
दनांक–17.04.2026